Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अन्वान पूजन सिंह बनाम महेन्द्र सिह आदि

धारा :– 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:– 443 / 2018

ारीख ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
26.12..2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन द्वारा तलब कर पत्रावली दिनांक 28.12.2018 को पेश हो।	
28.12.18	वादी अभिभाषक उप.। प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 की ओर से श्री सुरेन्द्र सहारण एड. ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण क्र. 1 ता 5 ने स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। राज्य हित उपस्थित मगर [illegible] प्रति. क्र. 6 की तलबी बाद की जाती है वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीहात कायम नहीं की गई। अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एवं बहस दिनांक 31.12.18 को पेश हो।	पूनम रेखा कांता शंकर सिंह
31.12.18	उभय पक्ष उप.। वकील वादी की ओर से विरासतन इंतकाल साक्ष्य के इंतकाल की प्रति पेश की है शामिल रहे। वादी एवं प्रतिवादी पक्ष और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता है पत्रा. वास्ते बहस अंतिम दि. 7.1.19 को पेश हो।	
7.1.19	उभय पक्ष उप.। वाद-पत्र पर बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23.1.2019 को पेश हो।	

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल

मिसल ही राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा पत्र डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिंह पूरोहित आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–443/2018

पूजन सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. पूनम कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रेखा कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. कान्ता कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. शंकर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1–श्री भवानी सिंह निर्बाण अधिवक्ता–वादी की ओर से

2–श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से

3–राजपैरोकार स्टेट – प्रतिवादी संख्या 6

:: निर्णय :: दिनांकः– 23.1.19

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 20.12.2018 को इस आशय का संक्षेप में इस प्रकार पेश किया कि है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नंबर–1 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 5/11 पत्थर नंबर 175/344 (1) किला नंबर 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 176/345 (6) किला नंबर 1 से 5, 10 से 12, 19, 20, 21/1, 22/2, पत्थर नंबर 178/346 (12) किला नंबर 1, 2, 9 से 12, 19

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

से 22, पत्थर नंबर 178/347 (23) किला नंबर 4 से 8, 13 से 15 कुल तादादी 8.552 हैक्टेयर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का जन्म से हक व अधिकार है। वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कुल तादादी 8.552 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1.839 हैक्टेयर हक व हिस्सा दर्ज है। यह कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण इसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घरू बंटवारा वादी को वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 1.839 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी को 0.626 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 5 को 0.626 हैक्टेयर कृषि भूमि दी हुई है जिस पर वादी काबिज काश्त है जिसकी वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 का भी उसमें हक व हिस्सा है लेकिन प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 ने अपने हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क किया हुआ है इत्यादि कथन करते हुए चक नंबर-1 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 5/11 कुल तादादी 8.552 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.839 हैक्टेयर में वादी 0.626 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उपस्थित होकर दिनांक 28.12.2018 को राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने राजीनामा पेश कर कथन

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पचांयत व मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नंबर–1 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 5/11 पत्थर नंबर 175/344 (1) किला नंबर 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 176/345 (6) किला नंबर 1 से 5, 10 से 12, 19, 20, 21/1, 22/2, पत्थर नंबर 178/346 (12) किला नंबर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22, पत्थर नंबर 178/347 (23) किला नंबर 4 से 8, 13 से 15 कुल तादादी 8.552 हैक्टेयर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1.839 हैक्टेयर हक व हिस्सा है। यह कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण इसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 ने अपने हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घरू बंटवारा वादी को उक्त वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की 1.839 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी को 0.626 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 5 को 0.626 हैक्टेयर कृषि भूमि दी हुई है व वादी व प्रतिवादी संख्या 5 काबिज काश्त है। उपरोक्तानुसार घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि की वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदारी घोषणा प्रदान किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करने में हम मिकरान को कोई आपत्ति नहीं है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

पत्रावली में उभय पक्षों को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र वादी डिक्री किये जाने में प्रतिवादी संख्या 6 को कोई एतराज व आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण में वर्णित भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है, पैतृक सम्पति है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी का उक्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 1 के नाम की 1.839 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी को 0.626 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 5 को 0.626 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने में मिकरान को कोई आपत्ति नही है, ऐसा राजीनामा में जाहिर किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चाहा गया है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति में दावा में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने में उभय पक्ष सहमत होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नंबर–1 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ खाता संख्या 5/11 पत्थर नंबर 175/344 (1) किला नंबर 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 176/345 (6) किला नंबर 1`स 5, 10 से 12, 19, 20, 21/1, 22/2, पत्थर नंबर 178/346 (12) किला नंबर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22, पत्थर नंबर 178/347 (23) किला नंबर 4 से 8, 13 से 15 कुल तादादी 8.552 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.839 हैक्टेयर में वादी को 0.626 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 5 को 0.626 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

अज अदालतः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी मुकाम हनुमानगढ़।

बईजलासः— श्री सुरेन्द्र सिंह पूरोहित आर.ए.एस.

पूजन सिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि

दावा बाबत् 88 आरटीए मुकदमा नंबर 443/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू मेरे बहाजरी श्री भवानी सिंह निर्बाण एडवोकेट मुदई व श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण मुदायलेहम पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक नंबर—1 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ खाता संख्या 5/11 पत्थर नंबर 175/344 (1) किला नंबर 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 176/345 (6) किला नंबर 1`स 5, 10 से 12, 19, 20, 21/1, 22/2, पत्थर नंबर 178/346 (12) किला नंबर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22, पत्थर नंबर 178/347 (23) किला नंबर 4 से 8, 13 से 15 कुल तादादी 8.552 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.839 हैक्टेयर में वादी को 0.626 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 5 को 0.626 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

x

लीज————— x ———मुबलिग————— x ————बाबत्——— x ——खर्चा इस
मुकदमें के मय सूद वशरह————— x ——————से
तारीख वसूलयाबी तक————— x ——————
बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 23.1.19 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

पूजन सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. पूनम कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रेखा कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. कान्ता कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. शंकर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़